सत्यमेव जयते

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
भारत सरकार

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकपूर्व और मैट्रिकोत्तर स्कीमों के लिए खुला हुआ है।

शीघ्र आवेदन करे

असम, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, पंजाब (केवल मैट्रिकपूर्व के लिए), सिक्किम, त्रिपुरा तथा उत्तराखंड जैसे एनएसपी में शामिल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पात्र छात्र आवेदन कर सकते हैं।

अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पात्र छात्र अपने संबंधित राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।

मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति

पात्रता	पात्रता–राशि
घटक–I • अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित छात्र • माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय **2.50 लाख रुपए** से अधिक नहीं होनी चाहिए • मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 9 और कक्षा 10 में पढ़ने वाले छात्र	• शैक्षणिक भत्ता **3500 रुपए से 7000 रुपए प्रति वर्ष** • दिव्यांग छात्रों के लिए अतिरिक्त 10% भत्ता
घटक–II • ऐसे छात्र जिनके माता–पिता/अभिभावक सफाई से संबंधित कार्यों में लगे हैं और जिन्हें स्वास्थ्य संबंधी खतरों की आशंका है। • कोई आय सीमा का मानदंड नहीं है। • ऐसे छात्र जो मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से 10 में पढ़ रहे हों।	• शैक्षणिक भत्ता **3500 रुपए से 8000 रुपए प्रति वर्ष** • दिव्यांग छात्रों के लिए अतिरिक्त 10% भत्ता

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

पात्रता	पात्रता–राशि
• माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय **2.5 लाख रुपए** से अधिक नहीं होनी चाहिए • मान्यता प्राप्त विद्यालयों/कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र • कक्षा 11 से आगे सभी मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम	• अनिवार्य अप्रतिदेय (नॉन रिफंडेबल) शुल्क (ट्यूशन फीस सहित) • शैक्षणिक भत्ता **2500 रुपए से 13500 रुपए प्रति वर्ष** • दिव्यांग छात्रों के लिए अतिरिक्त 10% भत्ता

- छात्र के पास वैध मोबाइल नम्बर, आधार नम्बर (यूआईडी), आधार से जुड़ा बैंक खाता, आय प्रमाण–पत्र तथा जाति प्रमाण–पत्र होना चाहिए।
- योग्य छात्र नीचे दिए गए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल लिंक पर ऑनलाइन आवेदन करें: **https://scholarships.gov.in/**

अधिक जानकारी के लिए क्यूआर कोड स्कैन करे

16 x 25

CBC 38101/11/0008/2425